

तारीख	उपाय	शर्तें	
सामान्य नियम	०४/०५	बीमार लोगों का घर पे अलग से रहना अनिवार्य है और उनपे निगरानी राखी जाये. आपका फ़र्ज़ है के घर के जरूरी चीज़ों का संग्रह करके रखें. समारोह और 100m2 जितनी जगह पे जहा १० लोग ही समा सकते है वहाँ ५ व्यक्ति से ज्यादा लोग अंदर जाने पे प्रतिबन्ध किया जाता है. अंतिमसंस्कार : परिवार के सदस्य हिस्सा ले सकते है.	
	३०- ३१/०५	धार्मिक समारोह : सामुदायिक समारोह को मानाने के लिए सामान्य स्वास्थ्य निदेशालय द्वारा निर्धारित किये गए नियमो का पालन किया जायेगा जिसमे धार्मिक स्वीकारोक्ति भी शामिल होगी.	
सार्वजनिक वाहन	०४/०५	क्षमता २/३	चहरे पे मास्क पहनना अनिवार्य है / स्वच्छता और सफाई
काम / व्यवसाय / नौकरी	०४/०५	अपना पेशेवर काम दूरसंचार पद्धति से काम करना जारी रख सकते है, जब भी काम ऐसे करने की अनुमति दे	
	०१/०६	आंशिक रूप से दूरसंचार पद्धति से काम करना, समय के अंतर की वजह से या फिर वीडियो कॉल करके	
सार्वजनिक सेवायें	०४/०५	जनता को व्यक्ति की हाज़री में सेवा देने के लिए इन सरकारी दफ्तरों को एकत्रित किया गया है (फाइनेंस, कन्सेर्वतोरीआ वगैरह)	चहरे पे मास्क पहनना अनिवार्य है / पहले से अपॉइंटमेंट लेना आवश्यक है
	०१/०६	लोजा द सीददाउ	
व्यवसाय और रेस्टोरेंट	०४/०५	स्थानीय व्यापार : 200m2 तक की जगह वाली जिन दुकानों का दरवाज़ा गली या रास्ते की तरफ हो ब्यूटी पारलर्स और उस जैसी और दुकाने. पुस्तक की दुकानें और गाड़ीयों (ऑटोमोबाइल ) का व्यवसाय, उसका क्षेत्र चाहे कितना भी हो.	- दुकानें : चहरे पे मास्क पहनना अनिवार्य / जो सुबह के १० बजे से खुलेंगी
	१८/०५	400m2 तक की जगह वाली जिन दुकानों का दरवाज़ा गली या रास्ते की तरफ हो या 400m2 तक की जगह वाली की दुकाने( या फिर इससे ज्यादा जो वहाँ की अधिकारी तय करेगे) रेस्टोरेंट्स, कॉफ़ी और पेस्ट्री शॉप / खुली जगह में टेबल वाले रेस्टोरेंट)	- ब्यूटी पार्लर उसके जैसी और दुकानें, पहले से अपॉइंटमेंट लेनी है और कुछ विशिष्ट शर्तें भी होंगी
	०१/०६	400m2 क्षेत्र से अधिक वाले क्षेत्र की दुकानें या फिर शॉपिंग सेंटर में जो दुकानें है	- रेस्टोरेंट्स : क्षेत्र की क्षमता से ५०% लोग ही उसमे जा पायेंगे, रात के ११ बजे तक खुले रहेंगे और कुछ विशिष्ट शर्तें भी होंगी
संस्कृति	१८/०५	संग्रहालय, स्मारक और राजमहल, कला गृह और उसके जैसे और	टिकट पहले से ली हुई हो और कक्ष की क्षमता से कम लोग हो जिससे शारीरिक दुरी बनी रहे
	०१/०६	सिनेमागृह, नाट्यगृह, प्रदर्शन कक्ष	
विद्यालय और सामाजिक संस्थायें	१८/०५	११वीं और दूसरी और तीसरी कक्षा के प्रशिक्षण दिया जायेगा (सुबह के १० से शाम के ५ बजे तक) विकलांग लोगों की और बालकों की सामाजिक शालाये (जिसका ध्येय परिवार को मदद करना है)	विद्यालय : चहरे पे मास्क का अनिवार्य ( बालवाड़ी और शिशुपालन गृह के बच्चे छोड़कर)
	०१/०६	शिशुपालक गृह / प्राथमिक शाला / स्कूल खत्म हो जाने के बाद का समय	
	०४/०५	पुस्तकालय	
खेल कूद	०४/०५	खुली हवा में व्यायाम या कोई खेल खेलना	कपडे बदलने का कमरा और स्विमिंग पूल के उपयोग के बगैर
	३०- ३१/०५	फुटबॉल : पहले चरण की फुटबॉल की प्रतियोगिता और पुर्तगाल कप के खेल	

### सामान्य शर्तें (उपाय) :

बाजार में चहरे पे पहनने के मास्क और कीटाणुनाशक प्रवाही या जेल उपलब्ध किया जायेगा/ जगहों की नियमित तौर पे सफाई की जाएगी / क्षेत्र की क्षमता से कम लोगों का जमा होना / हाथों की सफाई और साँस लेने में ख्याल रखें/ २ लोगों के बिच २ मीटर का शारीरिक अंतर यह निर्णय का हर १५ दिन के बाद पुनः मूल्यांकन किया जायेगा